न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA155 Madansingh Vs State etc

मदनसिंह पुत्र बगतावरसिंह राजपुरोहित
निवासी ग्राम बडली, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 21/2014 राजस्थान सरकार बनाम मदनसिंह

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 21/2014 राजस्थान सरकार बनाम मदनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर के खसरा संख्या 328 रकबा 96 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है, मगर अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन-विभाग द्वारा गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण की कार्यवाही में मौके पर अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर अवैध खनन का कार्य किया जाना पाया गया। अतः इन खातेदारान की वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को तलब किया गया, अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा संख्या 328 रकबा 96 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा बडली में से खनन कार्य हेतु प्रयुक्त की गयी भूमि सिवायचक घोषित कर राज्य सरकार को समायोजित कर अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी समाप्त कर दी। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स पर कभी भी नोटिस/सम्मन जारी नहीं किये गये, और अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो जांच दल मौके पर पहुँचा, उसे वादग्रस्त आराजी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारान म स काइ भी व्यक्ति मौके पर नहीं मिला था, फिर भी अवैध खनन का मामला खातेदारान के खिलाफ किस आधार पर बनाया गया? अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रकरण में प्रतिवाद की स्थिति में आवेदन-पत्र में एक नियमित वाद की तरह ही परीक्षण किये जाने का प्रावधान है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो आलौच्य मामला दैनिक कॉजलिस्ट में अंकित किया गया, न पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की गयी और न सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाण्ट्स की जानकारी के बिना ही एकमुश्त सभी समान प्रकरणों में एक जैसा आदेश पारित कर दिया गया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, जो भूमि अवैध खनन हेतु प्रयुक्त किया जाना समूचे प्रकरण में बार-बार बताया जाता रहा है, उसका मात्र क्षेत्रफल/नाप ही अंकित किया जाता रहा है, किसी भी स्तर पर उस विशिष्ट भू-भाग का अंकन कर वर्णन नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो जाता है कि भौतिक तौर पर मौका मुआयना ही नहीं किया गया, अपितु मात्र कागजी कार्यवाही कर खानापूर्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त मौका मुआयना कब किया गया? अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र कब प्रस्तुत किया गया? यह भी विचारणीय है। इस संबंध में मौका मुआयना करने की निश्चित दिनांक की जानकारी कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विहित परिसीमा तीन साल की निर्धारित समयावधि में पेश किया जाना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि पटवारी हळका की मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 में साफ वर्णित किया गया है कि वक्त मौका रिपोर्ट कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। जिस पटवारी हळका की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया, स्वयं उसी के बयान लिपिबद्ध किये जाकर अपीलाण्ट को उससे जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रकरण में प्रतिवाद की स्थिति में आवेदन में एक नियमित वाद की तरह ही परीक्षण किये जाने का प्रावधान है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो आलौच्य मामला दैनिक कॉजलिस्ट में अंकित किया गया, न पक्षकारान की साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी और न सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाण्ट्स की जानकारी के बिना ही एकमुश्त सभी समान प्रकरणों में एक जैसा आदेश पारित कर दिया गया, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, जो भूमि अवैध खनन हेतु प्रयुक्त किया जाना समूचे प्रकरण में बार-बार बताया जाता रहा है, उसका मात्र क्षेत्रफल ही अंकित किया जाता रहा है, किसी भी स्तर पर उस विशिष्ट भू-भाग का वर्णन नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। पटवारी हळका की मौका रिपोर्ट दिनांक 11 मार्च 2013 की है, जिसके अनुसार मौके पर अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की धारा 177 के तहत प्रार्थनापत्र 15 मार्च 2013 को पेश कर दिया गया। जाहिर है कि तीन साल की सीमावधि में ही पेश कर दिया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि: --

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के विन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।
2. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।
3. इसके बाद भी किसी आदेशिका में अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से किसी अधिवक्ता या स्वयं अप्रार्थी-अपीलाण्ट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अंकित नहीं है और न ही उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसरण में कोई नोटिस जारी किया जाना अथवा उक्त आदेशिका की दिनांक के बाद कोई नोटिस उक्त अपीलाण्ट पर तामीलशुदा या अदम-तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जबाब बन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/11/2018 को पेश हो। इससे **स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।**

4. उल्लेखनीय है कि दिनांक 06 मार्च 2014 से लेकर दिनांक 29 मई 2015 तक तथा दिनांक 09 जुलाई 2015 से 05 दिसंबर 2017 तक, 05 जनवरी 2018 से 18 अक्तूबर 2018 एवं 12 नवंबर 2018 से 07 जुलाई 2019 तक किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता गया है। पत्रावली में अभिलेख की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या लिखा जा रहा है, पक्षकारान की उपस्थिति/तामील की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्या वर्णित किया जा रहा है। कही कोई तारतम्य ही नहीं है।

5. समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 328 रकबा 96 बीघा 10 बिस्वा में से अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर अपीलाण्ट के हिस्से का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है, जबकि इसी खसरे में **अधीनस्थ न्यायालय के अन्य प्रकरण संख्या 20/2014 में प्रभूराम उर्फ प्रभूसिंह तथा प्रकरण संख्या 04/2014 सरकार बनाम पाबुसिंह को भी अवैध खनन कर्ता बताया गया है।** मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है।

6. वादग्रस्त आराजी से संबंधित जो राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2059-2062 ग्राम बडली अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, उसके अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त आराजी अकेले अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी की नहीं होकर सयुंक्त खातेदारी की भूमि है, मगर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के अलावा वादग्रस्त आराजी के अन्य सभी सहखातेदारान को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन एवं विधिसम्मतः नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आलोक में कार्यवाही करते हुए पुनः नये सिरे से प्रकरण का नियमानुसार विधिसम्मतः निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 19/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर